

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 559]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2010—आश्विन 28, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

क्र. (18)-बी-4-02-2010-2-पांच.—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 80-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसका यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्वारा, ग्राम सिजई (आश्रम) लौंडी, जिला छतरपुर स्थित स्वामी परमानंद गौधाम गौशाला सर्वतोमुखी विकास संस्थान, श्री परमशक्ति पीठ, मध्यप्रदेश के पक्ष वाली 19.298 हेक्टेयर भूमि के अन्तरण की लिखत पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क से छूट प्रदान करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

क्र. बी-4-02-2010-2-पांच (18).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-4-02-2010-2-पांच (18), दिनांक 20 अक्टूबर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 20th October 2010

No. (18) F-B-4-02-2010-2-V.—In exercise of the powers conferred by Section 80-B of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, on being satisfied that it is necessary so to do in the public interest, hereby, remits the registration fees chargeable on instrument of transfer of land admeasuring

19.298 hectares of land situated at Village Sijai (Ashram), Tehsil Laundi, District Chhatarpur in favour of Swami Parmanand Gaudham Gaushala Sarvatomukhi Vikas Sansthan, Shri Param Shakti Peeth Madhya Pradesh.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
A. P. SHRIVASTAVA, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

क्र. (18)-बी-4-02-2010-2-पांच.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ग्राम सिजई (आश्रम), तहसील लौंडी, जिला छतरपुर स्थित स्वामी परमानंद गौधाम गौशाला सर्वतोमुखी विकास संस्थान, श्री परमशक्ति पीठ, मध्यप्रदेश के पक्ष वाली 19.298 हेक्टेयर भूमि के अन्तरण की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

क्र. बी-4-02-2010-2-पांच (18).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-4-02-2010-2-पांच (18), दिनांक 20 अक्टूबर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 20th October 2010

No. (18) F-B-4-02-2010-2-V.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, remits the Stamp duty chargeable on instrument of transfer of land admeasuring 19.298 hectares of land situated at Village Sijai (Ashram), Tehsil Laundi, District Chhatarpur in favour of Swami Parmanand Gaudham Gaushala Sarvatomukhi Vikas Sansthan, Shri Param Shakti Peeth Madhya Pradesh.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
A. P. SHRIVASTAVA, Principal Secy.